



# कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-47/2015-540 दिनांक : 18.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/  
रामगढ़ वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन  
प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/  
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/  
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,  
हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल,  
देवघर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर  
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले  
पौधों का रोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का  
सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल **रु0 52.105 लाख (बावन लाख  
दस हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online  
Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-93/2015-34/स्वी0 व0प0  
दिनांक 28.08.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-93/  
2015-15/आ0 व0प0 दिनांक 02.05.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-  
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा  
सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत  
वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 52.105 लाख (बावन  
लाख दस हजार पाँच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया  
जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101580103	49.782
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101580323	2.323
कुल :-		52.105

2.

इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर  
वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने  
कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति  
प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (घ)  
तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101580103 तथा 19S240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2003 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।
6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्तर से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।


13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरों में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,


  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-47/2015-540

दिनांक-18.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संधाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**


  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-47/2015-540

दिनांक-18.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ बोकारो/ रामगढ़/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ कोडरमा/ गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			13280.96		
i	ii	iii	iv	v	vi
1	धनबाद वन प्रमण्डल	31.00	4.115	0.233	4.348
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	30.00	3.983	0.225	4.208
3	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	30.00	3.983	0.225	4.208
योग :-		91.00	12.081	0.683	12.764

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10283.00		
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	25.00	2.569	0.125	2.694
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	25.00	2.569	0.125	2.694
3	धनबाद वन प्रमण्डल	25.00	2.569	0.125	2.694
4	बोकारो वन प्रमण्डल	25.00	2.569	0.125	2.694
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल	25.00	2.569	0.125	2.694
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	25.00	2.569	0.125	2.694
7	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	25.00	2.569	0.125	2.694
8	साठसाठ प्रमण्डल, कोडरमा	25.00	2.569	0.125	2.694
योग :-		200.00	20.552	1.000	21.552

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			8034.53		
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	30.00	2.408	0.090	2.498
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	30.00	2.408	0.090	2.498
3	देवघर वन प्रमण्डल	30.00	2.408	0.090	2.498
4	सा०वा० प्रमण्डल, देवघर	22.00	1.766	0.066	1.832
5	सा०वा० प्रमण्डल, हजारीबाग	30.00	2.408	0.090	2.498
6	सा०सा० प्रमण्डल, कोडरमा	30.00	2.408	0.090	2.498
7	सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	41.63	3.343	0.124	3.467
योग :-		213.63	17.149	0.640	17.789
सकल योग :-		504.63	49.782	2.323	52.105

विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या 04/यो०ब०-93/2015- 34 दिनांक 28.08.2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (क)

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर**

**योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 249.83 रु० प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकोनी	हे०	35.00	8744.05	0.00	8744.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	750.00	750.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1498.98		1498.98	
	योग :-		53.16	13280.96	750.00	14030.96	

अनुलग्नक-2 (ख)

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर**

**योजना का नाम- वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 249.83 रु० प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकोनी	हे०	23.00	5746.09	0.00	5746.09	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.16	3037.93	0.00	3037.93	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	1498.98	0.00	1498.98	
	योग-		41.16	10283.00	500.00	10783.00	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर**

**योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०)**

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 रु० प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(1) सम्पादन (एक वर्ष)						
1	एक कोड़नी निकौनी	हे०	14.00	3497.62	0.00	3497.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	300.00	300.00
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	1498.98		1498.98
योग :-			32.16	8034.53	300.00	8334.53

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-47/5/40

दिनांक - 18-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101530103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रशाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33678	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	668,400.00 रुपये छः लाख अड़सठ हजार चार सौ
2	S 19 240601101530103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रशाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33680	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, BOKARO	256,900.00 रुपये दो लाख छप्पन हजार नौ सौ
3	S 19 240601101530103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रशाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33683	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	256,900.00 रुपये दो लाख छप्पन हजार नौ सौ
योग:				1,182,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह लाख बयासी हजार दो सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI



क्रमांक	विभाग कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33686	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	655,200.00 रुपये छः लाख पचपन हजार दो सौ
5	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33692	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR.DIV.	655,200.00 रुपये छः लाख पचपन हजार दो सौ
6	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33696	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	256,900.00 रुपये दो लाख छपन हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग: 1,567,300.00

क्रमिक योग: रुपये सत्ताइस लाख उनचास हजार पाँच सौ 2,749,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विभाग कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33697	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	256,900.00 रुपये दो लाख छप्पन हजार नौ सौ
8	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33698	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. GHATRA	240,800.00 रुपये दो लाख चालीस हजार आठ सौ
9	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	33701	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. GHATRA	240,800.00 रुपये दो लाख चालीस हजार आठ सौ
योग:				738,500.00
क्रमिक योग:				3,488,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

SPCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विभाग कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	33702	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	240,800.00 रुपये दो लाख चालीस हजार आठ सौ
11	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	33703	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	497,700.00 रुपये चार लाख सित्तानवे हजार सात सौ
12	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	33706	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	240,800.00 रुपये दो लाख चालीस हजार आठ सौ

योग:

979,300.00

क्रमिक योग:

रुपये चवालीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ

4,467,300.00

  
(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विधान कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33707	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	334,300.00 रुपये तीन लाख चौतीस हजार तीन सौ
14	S 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33708	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	176,600.00 रुपये एक लाख छहत्तर हजार छः सौ
15	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणाली 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33723	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	35,800.00 रुपये पैंतीस हजार आठ सौ

योग: 546,700.00

क्रमिक योग: रुपये पचास लाख चौदह हजार 5,014,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33724	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	12,500.00 रुपये बारह हजार पाँच सौ
17	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33725	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	12,500.00 रुपये बारह हजार पाँच सौ
18	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33726	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	35,000.00 रुपये पैंतीस हजार
योग:				60,000.00
क्रमिक योग:				5,074,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.,JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601101180323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	33727	GRDFOR003  MS. MAMTA PRIYDARSHI  D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	35,000.00  रुपये पैंतीस हजार
20	S 19 240601101180323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	33728	HZBFWL009  SMITHA PANKAJ  DIV. FOREST OFFICE EAST	12,500.00  रुपये बारह हजार पैंच सौ
21	S 19 240601101180323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	33729	HZBFWL005  PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	12,500.00  रुपये बारह हजार पैंच सौ
योग:				60,000.00
क्रमिक योग:				5,134,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विभाग कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	33730	CTRFOR003  SRI KALI KINKER  D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	9,000.00  रुपये नौ हजार
23	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	33731	CTRFOR002  NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	9,000.00  रुपये नौ हजार
24	S 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा अन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : Central Scheme :	33732	DGRFORE88  PREMJIT ANAND  DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	9,000.00  रुपये नौ हजार

योग:

27,000.00

क्रमिक योग:

रुपये इकावन लाख इकसठ हजार

5,161,000.00

  
(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विभाग कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601101530323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33734	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	21,500.00 रुपये इक्कीस हजार पाँच सौ
26	S 19 240601101530323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33735	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	9,000.00 रुपये नौ हजार
27	S 19 240601101530323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33736	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	12,400.00 रुपये बारह हजार चार सौ

योग:

42,900.00

क्रमिक योग:

रुपये बावन लाख तीन हजार नौ सौ

5,203,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI



क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601101530323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्रणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>	33737	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	6,600.00 रुपये छः हजार छः सौ




State Scheme :

AFFORESTATION &amp; SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)

Central Scheme :

NA



योग:

6,600.00

क्रमिक योग:

रुपये बावन लाख दस हजार पाँच सौ

5,210,500.00

(SRI-VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF,DEV.JHARKHAND RANCHI